न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 160/2017

1–तिलोकराम पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी बालाजीनगर तह. जायल जिला नागौर।

..........................वादी

बनाम

1– भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह
2– गेनकंवर पुत्री नाथूसिंह
3– नैनीकंवर पत्नि ईश्वरसिंह
4– प्रेमसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
5– बहादुरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
6– रणजीतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
7– रतनकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
8– बिलूकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
9– संतोषकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
10– फुलीकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
11– अनोपकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
12– मनीषा पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
13– सूरज पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
14– नेमा पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
15– दीपिका पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह प्रतिवादी सं. 12 से 15 नाबालिक वलिया मामा प्रेमसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
16– घेवरीकंवर पुत्री गोविन्दसिंह
17– लिलाकंवर पुत्री गोविन्दसिंह
18– जिमनाकंवर पुत्री गोविन्दसिंह
19– उमाकंवर पत्नि गोविन्दसिंह समस्त जाति दरोगा निवासी खाटू बडी तहसील जायल।
20– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थित अधिवक्ता–
1 श्री हनुमानराम मण्डा
2 श्री इन्द्रसिंह राठौड़

:: निर्णय ::

दिनांक 05.03.18

वाद वादीगण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मोजा खाटू कला के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1009 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर

05.3.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल

Scanned by CamScanner

1032 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवदीगण सं. 01 से 19 की सहखातेदारी के खेत है जिन में से वादी के द्वारा लादूकंवर, किरणकंवर व दिलिपसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के हिस्से में से खसरा नम्बर 1009 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा में से 2 बीघा 16 बिस्वा खरीदा था तथा उत्तरी पश्चिमी कोने पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा वादी ने अपने कब्जा सुदा खरीद सुदा भू–भाग पर अपनी सीमा कायम करते हुए पत्थर खड़े कर दिये। परन्तु उक्त बंटवाड़ा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से वादीगण को यह वाद न्यायालय हाजा में पेश करना लाजमी हो गया है। वादी ने यह वाद पेश कर वाद पत्र के पैरा सं0 7 में वर्णित इस्दुआ के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 19 की ओर से वकील श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालतानामा व ईकबाली जबाब पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 20 तहसीलदार जायल से डिक्री पर्चा जारी कर वादी के कब्जा काश्त से संबंधित रिपोर्ट ली गयी।

पक्षकारों की आपसी सहमति होने से प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता वकील वादी व वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र के पैरा संख्या 07 में वर्णित इस्तदुआ या तहसीलदार जायल की रिपार्ट के अनुसार वादी को अलग खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी सं. 01 से 19 के ईकबाली जबाब व तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

वादी तिलोकराम पुत्र जीयाराम के बंट में मोजा खाटू कला के खेत खसरा नम्बर 1009 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा (अर्थात 2.7696 बीघा) भूमि रखी जाकर नजरी नक्शा के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। शेष भूमि शेष खातेदारों के यथावत रखी जाती है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

5.3.18

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 05.3.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.3.18

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जायल
जायल, जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल

Scanned by CamScanner

N
|
S

राजस्व ग्राम खाडूकंला के खेत ख.नं. 1009 रकबा 19-01 में वादी तिलोकराम पुत्र जीयाराम जाट निवासी बालाजीनगर का मौका कब्जा का नजरी नक्शा :-

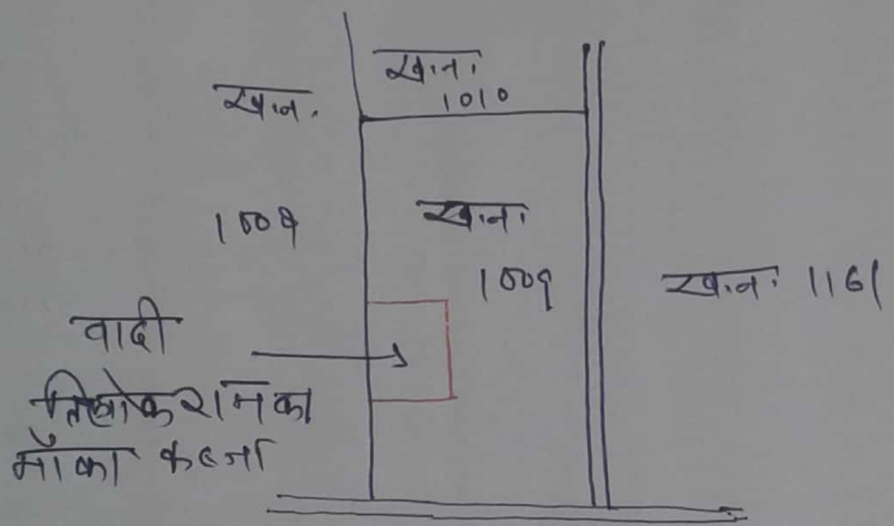

पटवारी
खाडूकंला
05/7/11

C.S.
28-7-11
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

(एस.डी.एम.) जायल

Scanned by CamScanner

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 160/2017

1–तिलोकराम पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी बालाजीनगर तह. जायल जिला नागौर।

..........................वादी

बनाम

1– भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह
2– गेनकंवर पुत्री नाथूसिंह
3– नैनीकंवर पत्नि ईश्वरसिंह
4– प्रेमसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
5– बहादुरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
6– रणजीतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
7– रतनकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
8– बिलूकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
9– संतोषकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
10– फुलीकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
11– अनोपकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
12– मनीषा पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
13– सूरज पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
14– नेमा पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह
15– दीपिका पुत्री सुवाकंवर पुत्री ईश्वरसिंह प्रतिवादी सं. 12 से 15 नाबालिक वलिया मामा प्रेमसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
16– घेवरीकंवर पुत्री गोविन्दसिंह
17– लिलाकंवर पुत्री गोविन्दसिंह
18– जिमनाकंवर पुत्री गोविन्दसिंह
19– उमाकंवर पत्नि गोविन्दसिंह समस्त जाति दरोगा निवासी खाटू बडी तहसील जायल।
20– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner